झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद

नगर प्रशासन भवन, एच0 ई0 सी0, धुर्वा, राँची

दूरभाष : (0651) 2400851, 2400852, फैक्स : 0651–2400850

Ease of doing business के तहत् राज्य की औद्योगिक इकाइयों की सुविधा के लिए झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद् द्वारा की गई कार्रवाई

1. जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अर्न्तगत स्थापना सहमति (सी0टी0ई0) एवं संचालन सहमति (सी0टी0ओ0) आवेदनों की प्राप्ति, पृच्छा एवं निस्तारण संबंधी पूरी प्रक्रिया 01.04.2015 से ऑनलाइन किया जाना अनिवार्य कर दिया गया है **(पर्षद् पत्रांक बी–592 दिनांक 10.03.2015) ।**

2. उक्त अधिनियमों के अर्न्तगत आवेदनों के निस्तारण हेतु 120 दिनों की निर्धारित समय सीमा को घटाकर लाल, नारंगी एवं हरी श्रेणी की औद्योगिक इकाईयों के लिये क्रमशः 69 दिन, 40 दिन एवं 30 दिन करने का निर्णय लिया गया है **(पर्षद् पत्रांक 1971 दिनांक 15.06.2015) ।**

3. लाल, नारंगी एवं हरी श्रेणी की औद्योगिक इकाईयों को क्रमशः 05, 10 एवं 15 वर्षों के लिए संचालन सहमति आदेश (सी0टी0ओ0) निर्गत करने का प्रावधान किया गया है ।

इस अधिसूचना के आलोक में लाल श्रेणी की इकाइयों का निरीक्षण सामान्यतया 02 (दो) वर्षों के अन्तराल पर किया जाएगा। High risk वाली नारंगी श्रेणी की इकाइयों का third party inspection सामान्यतया 03 (तीन) वर्षों के अन्तराल पर किया जायेगा । Low risk वाली नारंगी श्रेणी की औद्योगिक इकाइयों को self certification के आधार पर सहमति आदेश (सी0टी0ओ0) निर्गत किया जायेगा तथा इनका निरीक्षण सामान्यतया 05 वर्षों के अंतराल पर किया जायेगा । हरी श्रेणी की इकाइयों को self certification के आधार पर सहमति आदेश (सी0टी0ओ0) निर्गत किया जायेगा तथा इनका निरीक्षण पर्षद् द्वारा पूरी सहमति की अवधि में सामान्यतया एक बार किया जाएगा **(पर्षद् अधिसूचना संख्या बी–06 दिनांक 15.06.2015)।**

4. पर्षद् द्वारा सोलर फोटो वोल्टाईक पावर प्रोजेक्ट को स्थापना सहमति (सी0टी0ई0) एवं संचालन सहमति (सी0टी0ओ0) प्राप्त करने से मुक्त कर दिया गया है **(पर्षद् अधिसूचना संख्या बी–10 दिनांक 09.09.2015) ।**